



Neutral Citation No. - 2026:AHC:7290

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 12672 वर्ष 2025

पंकज शर्मा .....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : समीर खान, विदित नारायण मिश्रा विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, कपिल त्यागी

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री शशिकान्त शुक्ला, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री समीर खान, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त करते हुए, श्री कपिल त्यागी, सूचक के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री आर.पी. पटेल, विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 518 वर्ष 2024, धारा 103(1), 61(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना सेक्टर 113 नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर में, उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. अभियोजन कथानक के अनुसार, आवेदक मृतका का पति है और उसने अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मिलकर दिनांक 8.11.2024 को सायंकाल लगभग 5.15 बजे उनके घर में सूचक की पुत्री की हत्या की।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक गम्भीर रूप से अस्वस्थ था और मानसिक बीमारी से पीड़ित था तथा चलने में भी असमर्थ है, अतः उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया है। आवेदक के उपचार के एम.आर.आई. निष्कर्ष दाखिल किए गए हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि आवेदक उत्पत्तिवर्तन से उत्पन्न हंटिंगटन रोग से पीड़ित था। उसके कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है। आवेदक दिनांक 9.11.2024 से कारागार में है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
6. इसके विपरीत, विद्वान राज्य विधि अधिकारी एवं सूचक के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है।
7. इस न्यायालय ने विचारण की स्थिति आख्या मँगाई थी। स्थिति आख्या से संकेत मिलता है कि तीन साक्षियों की परीक्षा की जा चुकी है। प्रमुख साक्षी, जो मृतका की पुत्री है, की परीक्षा अभी होनी शेष है।
8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतका की मृत्यु आवेदक के घर की परिसीमा में हुई है और मृतका को अठारह छुरा घाव लगे हैं, जो इस प्रकरण को अत्यन्त मानसिक क्रूरता का तथा जघन्य प्रकृति का इंगित करते हैं, मुझे यह

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रकरण आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने के योग्य नहीं लगता। जमानत आवेदन गुण-दोषहीन पाया जाता है और तदनुसार अस्वीकार किया जाता है।

9. तथापि, यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित उक्त प्रकरण को उच्चतम न्यायालय द्वारा विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य, 2015 (3) SCC 220 तथा हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ, (2017) 5 SCC 702 के हालिया निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के दृष्टिगत, यदि कोई विधिक बाधा न हो, शीघ्रातिशीघ्र निर्णीत किया जाए।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ किए गए अवलोकन जमानत आवेदन के निस्तारण के सम्बन्ध में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त अवलोकनों का विचारण के दौरान प्रकरण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल) 12 जनवरी, 2026 शालिनी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"